15/1/26

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित हैं। वादीया की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद हारुन प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो कार्यवाही का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया उक्त अनुमान प्रकरण में अपनी ओर से आगे अन्य कार्यवाही नही करना चाहती हूँ। वाद पत्र को इसी स्तर पर विड्रो कर कार्यवाही बन्द करना चाहती है। वादीया को उक्त अनुमान प्रकरण को भविष्य में पुन पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये विड्रो की अनुमति दिलाई जावे। प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर बन्द कराई जाकर प्रकरण को खारीज फरमाया जाने का निवेदन किया।

वादीया अधिवक्ता को प्र पत्र पर सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रकरण में आगे कार्यवाही नही चाहने से प्रकरण को भविष्य में पुन पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रकरण को विड्रो किया जाना उचित है।

अत वादीया की ओर से प्रस्तुत प्र पत्र विड्रो कार्यवाही का स्वीकार किया जाकर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु की तामील में जारी
	वादीया प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं कराने एवं वादीया को उक्त उनवान प्रकरण भविष्य में पुन पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रकरण में इसी स्तर पर आगे की कार्यवाही बन्द की जाकर प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रायपुर	